न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— रामचन्द्र, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—206/2025/225 आर.टी.एक्ट (2025/206)

1. ओमप्रकाश पुत्र मिठू जाति नाई निवासी ग्राम जामोला तहसील मसूदा जिला ब्यावर हाल निवासी शिवगंज कॉलोनी देलवाडा रोड ब्यावर।
2. बंसतीलाल पुत्र श्री मिठू जाति नाई निवासी ग्राम जामोला तहसील मसूदा जिला ब्यावर।

अपीलांट्स

बनाम

1. श्री लक्ष्मीनारायण पुत्र स्व0 छोगा जी
2. श्री जयनारायण पुत्र स्व0 छोगा जी
3. श्रीमती शकुंतला देवी पत्नि स्व0 श्री नाथूलाल
4. श्री विरेन्द्र कुमार पुत्र स्व0 श्री नाथूलाल
5. श्री पंकज पुत्र स्व0 श्री नाथूलाल जी
6. श्रीमती पूनम देवी पुत्री स्व0 नाथूलाल जी
7. श्रीमती नीतू पुत्री स्व0 श्री नाथूलाल जी
8. श्रीमती रूकमा पत्नि स्व0 श्री हरीराम
9. श्री गोपाल लाल पुत्र स्व0 श्री हरीराम
10. श्री प्रकाशचंद पुत्र स्व0 श्री हरीराम
11. श्री बंशीलाल पुत्र स्व0 श्री हरीराम

    समस्त जाति नाई निवासी ग्राम जामोला तहसील मसूदा जिला अजमेर।

रेस्पोडेंट्स

12. श्री जगदीश पुत्र श्री गोविन्दराम
13. श्री गोपाललाल उर्फ रमेश पुत्र श्री गोविन्दराम जाति नाई निवासी गांव जामोला तहसील मसूदा जिला ब्यावर।
14. श्रीमती रामकन्या पत्नि श्री महावीर जी पुत्री श्री गोविन्दराम जी जाति नाई निवासी ग्राम जालिया द्वितीय तहसील बिजयनगर जिला अजमेर।
15. राजस्थान जरिए तहसीलदार मसूदा तहसील मसूदा जिला ब्यावर।

रेस्पोडेंटगण

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मसूदा जिला ब्यावर द्वारा पारित आदेश दिनांक 11.09.2024 राजस्व वाद संख्या 115/2022 (2022/368)

उपस्थितः—

1. श्री एस0पी0औझा अभिभाषक अपीलांट
2. श्री मदनपुरी गोस्वामी अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 1 से 11
3. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोडेंट संख्या 15
4. रेस्पोडेंट संख्या 12 से 14 स्वयं उपस्थित

निर्णय

दिनांकः— 19.11.2025

1. यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मसूदा जिला ब्यावर द्वारा प्रकरण संख्या 115/2022(2022/368) में पारित आदेश दिनांक 11.09.2024 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अप्रार्थीगण/रेस्पोडेंट संख्या 1 लगायत 11 ने उपखण्ड अधिकारी मसूदा जिला ब्यावर के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत अप्रार्थीगण/रेस्पोडेंट संख्या 12 लगायत 15 के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जवाब प्रस्तुत कर प्रार्थी द्वारा कहे गए कथनों से इंकार किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में उभयपक्षों की बहस सुनी जाकर बहस पर मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही करते हुए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को दिनांक 11.09.2024 को स्वीकार किए जाने के आदेश पारित किए गए। अतः अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मसूदा जिला ब्यावर द्वारा प्रकरण संख्या 115/2022(2022/368) में पारित आदेश दिनांक 11.09.2024 से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में अभिभाषक उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

4. अभिभाषक अपीलांट ने सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर निवेदन किया कि उपखण्ड अधिकारी, मसूदा का निर्णय दिनांक 11.09.2024 बिना नोटिस तामील कराए पारित किया गया है इसलिए उक्त निर्णय की जानकारीी नहीं हो पाई हाल की पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 21.04.2025 को मौके पर रास्ते निकाला जाएगा बाबत अवगत कराया और निर्णय दिनांक 11.09.2024 बताया गया तब प्रार्थीगण ने प्रमाणित नकल प्राप्त करने हेतु दिनांक 25.04.2025 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया दिनांक 28.04.2025 को नकल प्राप्त कर अजमेर अभिभाषक से संपर्क कर बिना विलंब के यह अपील प्रस्तुत की जा रही है। अतः प्रस्तुत मियाद प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अपील प्रस्तुती में हुई सदभाविक देरी को माफ किया जाकर अपील को गुणावगुण पर निर्णित किए जाने के आदेश प्रदान करावें।

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र के जवाब में कथन किया कि प्रार्थी को अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की पूर्णतः जानकारी थी इसलिए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्त किए जाने योग्य है व अपीलार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र पर किए गए कथन संतोषप्रद प्रतीत नहीं होते है, क्योंकि प्रार्थी ने जानकारी के संबंध में समुचित एवं पर्याप्त कारण अंकित नहीं किए है इसलिए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्त किए जाने योग्य है। अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना न्यायोचित है।

6. हमने अभिभाषक उभयपक्षों द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर की गई बहस पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया बाद अवलोकन हमने पाया कि हम प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का निस्तारण करना उचित समझते है।

आर0आर0टी0 2002(1)– CONDONATION OF DELAY– WHILE CONSIDERING THE QUESTION OF DELAY, COURT HAS TO FIRST CONSIDER THE MERITS CASE- IF CASE IS GOOD ON MERITS, DELAY OUGHT TO HAVE BEEN CONDONED.

चूंकि अपीलांट द्वारा अपने समर्थन में कहे गए कथन सत्य प्रतीत होते है। चूंकि परिसीमा नियमों का अभिप्राय यह है कि वे पक्षकारों के अधिकारो को नष्ट नहीं करे। चूंकि प्रथम अपील पक्षकार का वैधानिक व बहुमूल्य अधिकार है उसे विलंब के कारण समाप्त नहीं किया जा सकता जबकि अपीलांट का दुराश्य नहीं है। केवल तकनीकी आधारों पर व्यक्ति को न्याय से वंचित नहीं किया जा सकता तथा नियमानुसार उक्त प्रार्थना पत्र का निस्तारण गुणावगुण पर ही किया जाना विधिसम्मत है। प्रार्थी द्वारा धारा 5 मियाद अधिनियम में किए गए कथन सदभाविक होने से एवं न्यायहित में अपीलांट का धारा 5 मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर अपील को गुणावगुण पर निर्णित किया जाना उचित समझते हैं।

अतः प्रार्थी/अपीलांट द्वारा प्रस्तुत धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र में हुई देरी को क्षमा किया जाता है तथा प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर अपील को अंदर मियाद शुमार किया जाता है।

7. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस/अपील में कथन किया कि उपखण्ड अधिकारी, मसूदा के द्वारा पारित आदेश दिनांक 11.09.2024 अपीलांट को नोटिस तामील कराए बगैर जवाब साक्ष्य व उनकी अनुपस्थिति में मंगाई गई मौका रिपोर्ट पर निर्णय पारित किया अपीलांट संख्या 1 ओमप्रकाश तो जामोला में रहता ही नहीं है बल्कि 10 वर्षों अधिक से वर्तमान पता शिवगंज रोड देलवाडा ब्यावर तथा उसे पूर्व ब्यावर किराए के मकान में 20–25 वर्षों ब्यावर में रहता था। उपखण्ड अधिकारी, मसूदा जिला ब्यावर के समक्ष प्रार्थीगण/रेस्पोडेंट संख्या 1 लगायत 11 के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को प्रार्थना पत्र में चाहे गए खसरा नम्बर के खातेदार अप्रार्थी/रेस्पोडेंट संख्या 12 लगायत 14 के खसरा नम्बर में से रास्ता प्रदान नहीं कर प्रार्थना पत्र से परे जाकर अप्रार्थी/अपीलांट की खातेदारी में से रास्ता प्रदान कर अपने क्षेत्राधिकार का गलत उपयोग किया है। प्रार्थीगण/रेस्पोडेंट 1 लगायत 11 के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उनकी खातेदारी आराजी में आवागमन व कृषियंत्र लाने ले जाने हेतु अप्रार्थी/रेस्पोडेंट 12 लगायत 14 के खसरा नम्बर में से दादरसी चाही थी। अप्रार्थी/अपीलांट तो उक्त प्रार्थना पत्र में पक्षकार ही नहीं थे। केवल मात्र पटवारी हल्का व अप्रार्थी/रेस्पोडेंट संख्या 12 लगायत 14 की मिलाभगती से उक्त रिपोर्ट प्रस्तुत की गई और रिपोर्ट अनुसार उपखण्ड अधिकारी, मसूदा ने अपीलांट को पक्षकार बनाए जाने के लिए अप्रार्थीगण/रेस्पोडेंट संख्या 1 लगायत 11 को निर्देश दिए थे। लेकिन उन्होंने उक्त प्रार्थना पत्र में पक्षकार नहीं बनाकर एक संशोधित प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिया और अपीलांट को जवाब साक्ष्य व उनकी अनुपस्थित में पूर्व प्रार्थना पत्र में मंगाई गई रिपोर्ट के आधार पर आदेश अंतर्गत अपील पारित करने में अपने क्षेत्राधिकार का गलत उपयोग किया है। प्रार्थीगण/रेस्पोडेंट संख्या 1 लगायत 11 ने अपनी आराजी खसरा नम्बर 595 में प्रारंम्भ से आवागमन का रास्ता खसरा नम्बर 529 किस्म सडक से लगते हुए सरकारी भूमि खसरा नम्बर 3028/530 के बाद अप्रार्थीगण/रेस्पोडेंट संख्या 12 लगायत 14 की खातेदारी भूमि खसरा

नम्बर 3027/530, 531, 533 जो संलग्न नक्शे परिष्ट (क) दर्ज अ,ब,स, दर्शित रास्ता चाहा गया था। उसी रास्ते से प्रारंम्भ से प्रार्थीगण/रेस्पोडेंट 1 लगायत 11 ने अपना आना–जाना बताए है उक्त आराजी में से ही उक्त रास्ते को ही राजस्व रिकार्ड में दर्ज करान चाहा तो प्रार्थना पत्र से परे जाकर अप्रार्थी/अपीलांट के खसरा नम्बर 598 एवं 3102/597, को सुविधा जनक मानकर नया रास्ता देने में भारी भूल की है। अप्रार्थीगण/रेस्पोडेंट संख्या 1 लगायत 11 के द्वारा कोई संशोधित प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है तो उसमें उसी प्रकार कार्यवाही की जाएगी। जो धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में दशाई गई है। लेकिन उपखण्ड अधिकारी, मसूदा जिला ब्यावर ने पूर्व में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में की गई कार्यवाही में आधार मानकर अंतर्गत आदेश अपील मानकर भूल की है। पूर्व में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र जिसमें अपीलांट पक्षकार नहीं था और ना ही अपीलांट की खातेदारी आराजी में से रास्ता चाहा गया था। लेकिन उक्त प्रार्थना पत्र में मौका रिपोर्ट तहसीलदार द्वारा मसूदा द्वारा मंगाई गई थी। जिन्होंने कोई मौका रिपोर्ट नहीं भेजी बल्कि उन्होंने पटवारी हल्का द्वारा भेजी गई रिपोर्ट को प्रेषित पत्र संलग्न कर उपखण्ड अधिकारी, मसूदा जिला ब्यावर को भिजवा दी गई और उन्होंने उक्त रिपोर्ट के आधार पर अंतर्गत आदेश अपील पारित कर दिया। राजस्थान काश्तकारी सरकारी नियम 1955 के नियम 69 के तहत मौका निरीक्षण किया जाना आज्ञात्मक है जिसमें उपखण्ड अधिकारी, मसूदा ही स्वयं या भू–अभिलेख निरीक्षक रैंक से अधीनस्थ रिपोर्ट नहीं मंगाई जा सकती जबकि पूर्व प्रस्तुत प्रार्थना में पटवारी हल्का जामोला द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई उसी आधार पर निर्णय पारित कर दिया गया। अपीलांट संख्या 1 व अपीलांट संख्या 2 की सहखातेदारी आराजी खसरा नम्बर 3102/597 रकबा 0.1294 एवं खसरा नम्बर 598 रकबा 0.1294 जो कि बहुत ही छोटे–छोटे रकबे हैं जिसमें 1/2–1/2 हिस्सा दर्ज है अगर उक्त आराजी में से 18 फुट रास्ता निकल जाता है तो उसके पश्चात जमीन काश्त योग्य नहीं बचती है एवं खसरा नम्बर के मध्य से रास्ता निकलने पर कृषि कार्य नहीं किया जा सकता साथ ही अपीलांट के खसरा नम्बर में से कभी भी रेस्पोडेंट संख्या 1 लगायत 11 का कभी भी आवागमन नहीं था जो कि उनका आवागमन था वह रेस्पोडेंट संख्या 12 लगायत 14 की आराजी में से था जो उन्होंने प्रार्थना पत्र में दर्शित किया गया उसके बावजूद अपीलांट के साथ अन्याय किया है। पूर्व में प्रार्थीगण/रेस्पोडेंट ने अप्रार्थी/रेस्पोडेंट संख्या 12 लगायत 14 के द्वारा प्रार्थना पत्र 50/17 बउनवान नाथूलाल बनाम जगदीश प्रस्तुत किया गया था जिसे वड्रो किया गया। तत्पश्चात पुनः आवेदन प्रस्तुत किया उसमें भी रास्ता अप्रार्थीगण/रेस्पोडेंट संख्या 12 लगायत 14 के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया था। जो संशोधित प्रार्थना पत्र की मद संख्या 7 से स्पष्ट है उसके बावजूद गलत रूप से अंतर्गत आदेश अपील पारित करते हुए अपीलांट की आराजी में से रास्ते दिए जाने में भारी भूल की है। अतः न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जावे व अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मसूदा जिला ब्यावर द्वारा प्रकरण संख्या 115/2022(2022/368) में पारित आदेश दिनांक 11.09.2024 को निरस्त किया जाकर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें। अभिभाषक अपीलांट द्वारा अपने समर्थन में न्यायिक दृष्टांत आरआरटी 2017(2)

पेज 1088, आरआरटी 2016–17 (सप0)पेज 677, आरआरटी 2016(2)पेज 1281, आरआरटी 2017(1)पेज 342 प्रस्तुत किए।

8. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने दौराने बहस अपील में कथन किया कि मौजा जामोला पटवार हल्का जामोला तहसील मसूदा में खसरा नंबर 595 की भूमि स्थित है, जिसका प्रार्थीगण खातेदार काश्तकार राजस्व रेकार्ड में दर्ज चले आ रहे है। प्रार्थीगण अपनी खातेदारी की भूमि में आने जाने हेतू जामोला से मोहनपुरा जाने वाले मार्ग खसरा नंबर 529 जो रास्ता है, उसके पश्चात अप्रार्थीगण की खातेदारी की आराजी खसरा नंबर 3027/530, 531, 533, से होते हुये प्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि खसरा नंबर 595 आराजी तक रास्ता चला आ रहा है। जो काफी लम्बे समय से चला आ रहा है तथा अप्रार्थीगण की भूमियों में से जो रास्ता चला आ रहा है, इसके अलावा अन्य कोई रास्ता प्रार्थीगण की भूमि में आने जाने का नहीं है। प्रार्थीगण द्वारा पूर्व में भी रास्ता लेने हेतू प्रार्थना पत्र नाथूलाल व अन्य बनाम जगदीश व अन्य का पेश किया किन्तु नाथूलाल व हरीराम का देहान्त हो जाने के कारण एवं प्रार्थी द्वारा सहवन से खसरा नंबर अंकित नहीं करने के कारण प्रार्थना पत्र नया पेश करने की इजाजत के साथ विड्रो कर लिया था। अप्रार्थीगण की भूमियों में से प्रार्थीगण को आने जाने हेतू 18 फिट चौडा रास्ता दिलाया जावे। प्रार्थीगण जो कि अप्रार्थीगण को डीएलसी दर से राशि भुगतान करने के लिये तैयार है। प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण से दिनांक 14.11.2017 को रास्ता दिये जाने हेतू निवेदन किया तो वह इन्कार हो गये तथा तहसीलदार मसूदा ने जो रिपोर्ट पेश की गई है, उसमें भी खसरा नंबर 598 व 3102/597 में रास्ता होना दर्शाया है। इसलिये इस प्रार्थना पत्र की आवश्यकता हुई है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण को अपनी भूमि में आने जाने हेतू 18 फीट चौडा रास्ता दिया जावे। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय विधिसम्मत है। जिसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होने से अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज किए जाने योग्य है।

9. हमनें अभिभाषक उभयपक्षों की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया। अप्रार्थीगण/रेस्पोडेंट संख्या 1 लगायत 11 ने उपखण्ड अधिकारी, मसूदा जिला ब्यावर के समक्ष प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत अप्रार्थीगण/रेस्पोडेंट संख्या 12 लगायत 15 के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में उभयपक्षों की बहस पर मनन करते हुए अपीलांट संख्या 12 से 14 की हद तक प्रार्थना पत्र खारिज कर व तहसीलदार मसूदा की रिपोर्ट पर अपीलांट संख्या 1 व 2 की सीमा तक प्रार्थना पत्र स्वीकार किए जाने के आदेश दिनांक 11.09.2024 को पारित किए गए। उक्त आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलांट्स द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई है।

प्रार्थीगण/रेस्पोडेंट द्वारा पूर्व में भी रास्ता लेने हेतु प्रार्थना पत्र नाथूलाल व अन्य बनाम जगदीश व अन्य का प्रस्तुत किया गया था, किंतु नाथूलाल व हरीराम का देहांत हो जाने के कारण एवं प्रार्थी द्वारा सहवन से खसरा नम्बर अंकित नहीं करने के कारण प्रार्थना पत्र नया पेश करने की इजाजत के साथ विड्रो कर लिया गया। इसके पश्चात प्रार्थीगण/रेस्पोडेंट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक अन्य

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का दिनांक 09.11.2022 को प्रस्तुत किया गया। प्रार्थी/रेस्पोडेंट द्वारा अपनी आराजीयात खसरा नम्बर 595 में आने जाने के लिए अप्रार्थीगण की भूमियां खसरा नम्बर 3027/530, खसरा नम्बर 531 व खसरा नम्बर 533 में से 18 फीट चौडे रास्ते बाबत अनुतोष चाहा गया।

पटवारी हल्का द्वारा तैयार मौका रिपोर्ट दिनांक 04.04.2024 में प्रार्थी/रेस्पोडेंट के खसरा नम्बर 595 में आवागमन हेतु कोई रास्ता नहीं होना बताया व प्रार्थी उक्त खसरा नम्बर में आवागमन के लिए खसरा नम्बर 598 व खसरा नम्बर 3102/597 का उपयोग करता है। परंतु प्रार्थी/रेस्पोडेंट द्वारा प्रस्तुत अपने प्रार्थना पत्र में खसरा नम्बर 529 व सरकारी भूमि खसरा नम्बर 3028/530 व उसके बाद अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 3027/530, खसरा नम्बर 531 व खसरा नम्बर 533 की भूमि को रास्ते के रूप में उपयोग कर रहे है। यह बताया गया है चूंकि पूर्व में प्रार्थीगण/रेस्पोडेंट ने अप्रार्थी/रेस्पोडेंट संख्या 12 लगायत 14 के द्वारा प्रार्थना पत्र 50/17 बउनवान नाथूलाल बनाम जगदीश प्रस्तुत किया गया था जिसे वड्रो किया गया। तत्पश्चात पुनः आवेदन प्रस्तुत किया उसमें भी रास्ता अप्रार्थीगण/रेस्पोडेंट संख्या 12 लगायत 14 के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया था। जो संशोधित प्रार्थना पत्र की मद संख्या 7 से स्पष्ट है। उसके बावजूद किस आधार पर पटवारी हल्का द्वारा मौका रिपोर्ट में यह बताया गया है कि प्रार्थी/रेस्पोडेंट खसरा नम्बर 595 में पहुंचने हेतु खसरा नम्बर 598 एवं खसरा नम्बर 3102/597 का उपयोग कर रहे हैं जबकि प्रार्थी/रेस्पोडेंट द्वारा प्रस्तुत दोनों ही प्रार्थना पत्रों में अपीलांट संख्या 1 व 2 के खसरा नम्बर 598 व खसरा नम्बर 3102/597 से कोई अनुतोष ही नहीं चाहा गया था।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में अपीलांट संख्या 1 व 2 को दिनांक 24.07.2024 को बिना आदेश 1 नियम 10 प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किए ही सीधा संशोधित प्रार्थना पत्र पेश कर पक्षकार कायम किए जाने के आदेश पारित किए गए।

राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम 1955 के नियम 69 के तहत मौका निरीक्षण किया जाना आज्ञात्मक है जिसमें भू–अभिलेख निरीक्षक रैंक से नीचे के अधिकारी द्वारा रिपोर्ट नहीं बनाई जा सकती है। जबकि प्रस्तुत प्रार्थना में पटवारी हल्का जामोला द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई उसी आधार पर निर्णय पारित कर दिया गया। इससे स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में नियम 69 की पालना किए बिना उक्त रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण में निर्णय पारित किया गया है।

अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 23.08.2024 में अपीलांट संख्या 1 व 2 की तलबी हेतु नोटिस तलवाना प्रस्तुत किए जाने बाबत उल्लेख किया गया है व अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में अगली ही पेशी पर अपीलांट संख्या 1 व 2 की तलबी मानते हुए प्रकरण का निस्तारण एकपक्षीय रूप से किया गया है। जबकि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध नोटिसों पर कोई उल्लेख नहीं है कि उक्त नोटिस किसकी उपस्थिति में तामील हुए हैं क्यों कि उक्त नोटिसों पर किसी के हस्ताक्षर/अंगूठा निशानी भी नहीं है तथा नोटिस तामील है अथवा नहीं इस बाबत भी कोई अंकन नहीं किया गया है। जबकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया शाखा जामोला को भी प्रकरण में पक्षकार संयोजित नहीं किया गया क्यों कि ओमप्रकाश पुत्र मिठू का खसरा नम्बर 3102/597 यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के

रहन है। इन समस्त तथ्यों से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में विधिक प्रक्रिया का पालन किए बिना विधिवत तामील के नोटिस तामील मानकर प्रकरण में अपीलांट संख्या 1 व 2 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर प्रकरण में एकपक्षीय आदेश पारित किया गया है।

उपरोक्त विवेचनानुसार व अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किए गए निर्णय में विधिक व प्रक्रियात्मक त्रुटि कारित हुई है, अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय खारिज करते हुए प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

10. अतः अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मसूदा जिला ब्यावर द्वारा प्रकरण संख्या 115/2022(2022/368) में पारित आदेश दिनांक 11.09.2024 को निरस्त किया जाता है तथा पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती हैं कि तहसीलदार मसूदा या भूअभिलेख निरीक्षक खसरा नम्बर 595 की आराजीयात में पहुंच हेतु सबसे नजदीकी व सुलभ रास्ता कौन सा है उसकी विस्तृत जांच कर प्रकरण से संबंधित उभयपक्षकारान की उपस्थिति में मौका रिपोर्ट तैयार की जाकर पक्षकारान से आपत्ति प्राप्त कर, आपत्ति का निस्तारण करते हुए व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 ए के तीनों बिंदुओं यथा रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता, वैकल्पिक मार्ग का अभाव व लघुत्तम मार्ग के बिंदुओं का अनुसरण करते हुए व प्रकरण में कितने फिट चौडा रास्ता दिया गया है उसका भी अंकन करते हुए, पुनः विस्तृत रूप से गुणावगुण पर निर्णय पारित करें। उभयपक्षकारान को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 17.12.2025 को उपस्थित रहने के लिए पाबंद किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

11. निर्णय आज दिनांक 19.11.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर